

भारत के विवाद के समाधान की रूपरेखा

(अंतिम अद्यतन : 29 नवंबर 2016)

सामान्य सूचना

- भारतीय कर संधि निम्न लिंक पर उपलब्ध है :

www.incometaxindia.gov.in

- एमएपी अनुरोध निम्न को किया जा सकता है :

सुश्री प्रग्या सक्सेना (एमएपी अनुरोध जहां अन्य राष्ट्र उत्तरा अमरिका और यूरोप में स्थित हो)

संयुक्त सचिव (विदेशी कर व कर अनुसंधान-I) और सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

कमरा सं. 803, 8वीं मंजिल, सी-विंग-हुडको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम्

नई दिल्ली-110066, भारत

दूरभाष - 011-26108402, फ़ैक्स - 011-26177990, ई-मेल pragya.saksena@nic.in

श्री रजत बंसल (सभी एमएपी अनुरोध जहां अन्य राष्ट्र उत्तरी अमेरिका और यूरोप को छोड़कर दुनिया में कहीं भी स्थित हो)

संयुक्त सचिव (विदेशी कर व कर अनुसंधान-II) और सक्षम प्राधिकारी, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

कमरा स. 804, 8वीं मंजिल, सी-विंग-हुडको विशाला बिल्डिंग, भीकाजी कामा प्लेस, आर.के. पुरम्

नई दिल्ली-110066, भारत

दूरभाष - 011-26104504, 26177527 फ़ैक्स - 011-26104504, ई-मेल rajat.bansal64@nic.in

- एपीए अनुरोध किया जाना चाहिए :

भारत के विवाद समाधान की रूपरेखा - विवाद रोकथाम

क्र.सं.

प्रतिउत्तर

ब्यौरेवार स्पष्टीकरण

जहां सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना और दिशानिर्देश मिल सकते हैं

क. विवाद रोकथाम

- | | | | | |
|----|---|----------------------------|---|--|
| 1. | क्या सामान्य प्रकार के मुद्दों से संबंधित आपकी कर संधियों की व्याख्या या लागू करने के संबंध में उत्पन्न हुई कठिनाइयों या संदेहों के समाधान के लिए आपके सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया समझौता जो करदाताओं की एक श्रेणी से संबंधित है या संबंधित हो सकता है, प्रकाशित हुआ ? | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | ऐसे अनुबंध या समझौते जो जब कभी किए गए को सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से प्रकाशित किया गया | भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.incometaxindia.gov.in पर या प्रेस सूचना विभाग की वेबसाइट पर |
| 2. | क्या द्विपक्षीय एपीए कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया गया ?

यदि हां : | हां | - | - |
| क. | • क्या द्विपक्षीय एपीए कार्यक्रमों के लिए एपीए की वापसी को प्रदान किया गया ? | ब्यौरेवार विवरण देखें | द्विपक्षीय एपीए की वापसी एपीए अवधि के पहले वित्त वर्ष के तुरंत पहले के चार वित्त वर्षों की अवधि के लिए स्वीकृत है | - |
| ख. | • एक एपीए अनुरोध दाखिल करने की निर्दिष्ट समय सीमा है ? | ब्यौरेवार विवरण देखें | मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के मामले में, एपीए आवेदन को एपीए अवधि के पहले वित्त वर्ष के तुरंत पहले वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले आवेदन दाखिल किया जाना चाहिए। नए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों के मामले में, एपीए आवेदन नए लेनदेन के प्रारंभ से पहले किसी भी समय किया जाना चाहिए | - |

ग.	<ul style="list-style-type: none"> विशेष सूचना और दस्तावेजीकरण जिसको द्विपक्षीय एपीए सहायता के लिए करदाता के अनुरोध में दाखिल किया जाना चाहिए, सहित करदाता द्विपक्षीय एपीए को कैसे प्राप्त और प्रयोग कर सकते हैं पर नियम, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है ? 	ब्यौरेवार विवरण देखें	यह सभी जानकारियां भारतीय आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है	आयकर अधिनियम, 1961, आयकर नियम, 1962, वापसी संबंधित मुद्दों पर 2015 के परिपत्र सं. 15 दिनांक 10 जून, 2015 वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in पर उपलब्ध है
घ.	<ul style="list-style-type: none"> द्विपक्षीय एपीए अनुरोध के लिए करदाता से कोई शुल्क वसूला जाता है ? 	ब्यौरेवार विवरण देखें	शुल्क क्रमशः एपीए और वापसी अनुरोध के लिए अलग-अलग वसूली जाती है जिसके विवरण इस प्रकार है	-
			<p>एपीए के लिए : जहां एपीए अवधि में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेनों की राशि रू. 100 करोड़ (रू. 1 बिलियन) तक है तो देययोग्य शुल्क रू. 10 लाख (रू. 1 मिलियन) है। यदि कथित राशि रू. 100 करोड़ से रू. 200 करोड़ (रू. 1 से 1.5 बिलियन) के बीच है तो देययोग्य शुल्क रू. 15 लाख (रू. 1.5 मिलियन) है। यदि कथित राशि रू. 200 करोड़ (रू. 2 बिलियन) से अधिक है तो देययोग्य शुल्क रू. 20 लाख (रू. 2 मिलियन) है।</p> <p>एपीए की वापसी के लिए : प्रत्येक वापसी अनुरोध के लिए निश्चित रू. 5 लाख (0.5 मिलियन) वसूले जाते हैं।</p>	
ड़.	<ul style="list-style-type: none"> द्विपक्षीय एपीए से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है ? 	हां	-	भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.incometaxindia.gov.in पर या प्रेस सूचना विभाग की वेबसाइट पर
3.	क्या आपके अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण यह	हां	-	-

सुनिश्चित करने के लिए
करदाताओं के अंकेक्षण/
परीक्षण में शामिल है कि
उनके द्वारा किया गया
कोई निधारण आपका कर
संधियों के प्रावधानों के
अनुसार है ?

4. रोकथाम कर संधि संबंधित ब्यौरेवार कर संधियों के कार्यान्वयन के www.incometaxindia.gov.in
विवादों पर अन्य सूचना स्पष्टीकरण लिए किए गए सभी प्राटोकॉल
उपलब्ध है ? देखें और समझौते संधियों सहित
उपलब्ध है

टिप्पणी :

1. एक एपीए एक ऐसी व्यवस्था है जो पहले से नियंत्रित लेनदेनों में, समय के साथ उन लेनदेनों के लिए मूल्यनिर्धारण स्थानान्तरण के लिए पात्रता के उपयुक्त समूह (यानी विधि, इसके अतिरिक्त तुलनीय और उपयुक्त समायोजनाएं, भविष्य की घटनाओं के लिए महत्वपूर्ण धारणाएं) को निर्धारित करती है। (बहुराष्ट्रीय उद्यम एवं कर प्रशासन के लिए ओईसीडी स्थानान्तरण मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों में एपीए की परिभाषा देखें (स्थानान्तरण मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देश))
2. ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं जिसमें एक एपीए के माध्यम से सुलझाए गए मुद्दे पिछले दाखिल कर वर्षों के संदर्भ में प्रासंगिक हो जिनको एपीए के मूल क्षेत्र के अंतर्गत शामिल न किया गया हो। "वापसी" की संकल्पना को स्थानान्तरण मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अध्याय IV की धारा च के पैराग्राफ 4.136 में (अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौता) और स्थानान्तरण मूल्यनिर्धारण दिशानिर्देशों के अध्याय IV (आपसी समझौता प्रक्रिया (एमएपी एपीए) के अंतर्गत अग्रिम मूल्यनिर्धारण समझौता करने दिशानिर्देश) को शामिल करने के लिए धारा घ.4.2 (संभावित पूर्वप्रभावी आवेदन (वापसी)) के पैराग्राफ 69 में आगे विस्तार किया गया है।

भारत के विवाद समझौते की रूपरेखा - एमएपी की उपलब्धता और प्राप्ति

क्र.सं.	प्रतिउत्तर	ब्यौरेवार स्पष्टीकरण	जहां सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध सूचना और दिशानिर्देश मिल सकते हैं
ख	एमएपी की उपलब्धता और प्राप्ति		
5.	हां	-	-
	क्या स्थानान्तरण मूल्यनिर्धारण मामले एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ?		
6.	हां	-	-
	क्या दुरूपयोग विरोधी संधि के प्रावधान को लागू करने से संबंधित		

	मुद्दे एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ?			
7.	क्या घरेलू दुरुूपयोग विरोधी प्रावधान को लागू करने से संबंधित मुद्दे एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ?	ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें	एक मामले को एमएपी के अंतर्गत लिया जा सकता है जब "कर संधि के अनुसार न हो"	-
8.	क्या मुद्दे जहां कर प्राधिकारियों और करदाता के बीच अंकेक्षण निपटान पहले से हो एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ?	ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें	एमएपी को प्राप्त किया जा सकता है यदि जहां अंकेक्षण निपटान, यदि हो, अंकेक्षण कार्यवाही के दौरान किया गया हो	-
9.	क्या विदेशी समायोजनाओं को प्रारंभ करने वाले वास्तविक करदाता से दोहरे कराधान के मामले एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं ?	हां	-	-
10.	क्या कोई अन्य संधि संबंधित मुद्दे है जो क्र.सं. 5 से 9 के अंतर्गत आते हैं जो एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते ?	ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें	सभी मामले जो एमएपी उपयोग के लिए शर्तों को पूरा करता है एमएपी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते हैं	-
11.	क्या करदाताओं को एमएपी सहायता का अनुरोध करने की अनुमति है यदि जहां करदाता ने आपके क्षेत्राधिकार के घरेलू कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए न्यायिक और प्रशासनिक उपचारों के माध्यम से विवाद के अंतर्गत मुद्दों का समाधान करने की मांग की हो	हां	-	-
12.	क्या करदाताओं को एमएपी सहायता का अनुरोध करने की अनुमति है यदि जहां विवादास्पद मुद्दों को आपके क्षेत्राधिकार के घरेलू कानून द्वारा उपलब्ध कराए गए न्यायिक और प्रशासनिक उपचारों के माध्यम से पहले ही सुलझा लिया गया हो	हां	-	-
13.	विशेष सूचना और दस्तावेजीकरण जिसको एमएपी की सहायता के लिए करदाता के अनुरोध में दाखिल किया जाना चाहिए, सहित करदाता एमएपी को कैसे प्राप्त और प्रयोग कर सकते हैं पर नियम, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है ?	ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें	एमएपी के कार्यान्वयन को नियंत्रित करने वाले नियम और प्रक्रियाओं सहित आयकर नियम, 1962 सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध है। हालांकि, ब्यौरेवार दिशानिर्देश बीईपीएस परियोजना की कार्रवाई 14 पर अंतिम रिपोर्ट में निर्दिष्ट न्यूनतम	www.incometaxindia.gov.in

मानकों के अनुसार तैयार किया जा रहा है

- | | | | | |
|-----|---|----------------------------|---|---|
| 14. | क्या एक एमएपी अनुरोध को दाखिल करने के लिए निश्चित समय सीमा हैं ? | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | समयसीमा को एमएपी को उपयोग करने वाले प्रासंगिक कर संधि में मुहैया कराया गया है | - |
| 15. | क्या बहुपक्षीय एमएपी पर दिशानिर्देश सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं ? | नहीं | - | - |
| 16. | क्या एक एमएपी मामले की अवधि के दौरान हटाए गए कर संग्रहण की प्रक्रिया लंबित है ? | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | ऐसे हटाए गए संग्रहण केवल वहीं उपलब्ध होंगे जहां ऐसी निरस्ती देने के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू)/बहुपक्षीय समझौता भारत और अन्य राष्ट्र के बीच मौजूद हो | - |
| 17. | क्या एक एमएपी अनुरोध के लिए करदाता से कोई शुल्क वसूला गया ? | नहीं | - | - |
| 18. | क्या एमएपी की उपलब्धता और प्राप्ति पर अन्य कोई सूचना उपलब्ध हैं ? | नहीं | - | - |
| 19. | क्या करदाताओं को उपलब्ध कराए गए मामलों के समाधान के लिए एमएपी मामले की प्राप्ति से आपके सक्षम प्राधिकारी द्वारा उठाए गए कदमों के लिए कोई आदर्श समयसीमा है ? | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | मामलों को हमेशा समय सीमा में निपटाने का प्रयास किया गया था। अब बीईपीएस परियोजना की कार्रवाई 14 पर अंतिम रिपोर्ट 24 महीनों में एमएपी मामलों को सुलझाने के प्रयास का मानक स्थापित करती है और ऐसा करना सक्षम प्राधिकारी का प्रयास होगा | - |
| 20. | क्या एमएपी मामलों को सुलझाने के लिए लिए गए समय से संबंधित आंकड़े सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं ? | नहीं | - | - |
| 21. | क्या एक एमएपी समझौते के अनुसार किए गए समझौते के परिणामस्वरूप ब्याज या जुर्माना एमएपी प्रक्रिया के हिस्से के तौर पर व्यवहारित या अस्वीकृत हुआ | नहीं | - | - |
| 22. | क्या एमएपी कार्यालय की भूमिका और उत्तरदायित्व सार्वजनिक तौर | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण | एमएपी कार्यालय की भूमिका और | - |

	पर उपलब्ध है, उदाहरण के लिए, क्या एमएपी कार्यालय के मिशन ब्यौरे संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है ?	देखें	उत्तरदायित्व सामान्य रूप से ज्ञात है। इसके अतिरिक्त, बीईपीएस परियोजना की कार्रवाई 14 पर अंतिम रिपोर्ट में न्यूनतम मानक के घटक 2.1 के अनुसार एक दिशानिर्देश टिप्पणी तैयार किया जा रहा है। कोई मिशन ब्यौरा जैसा कुछ नहीं है	
23.	क्या एक एमएपी समाधान एक तंत्र जो आपकी कर संधियों में किसी के लिए भी कर संधि संबंधी विवादों के समाधान के लिए उपलब्ध है? यदि नहीं	नहीं	-	-
क.	• क्या आपकी कर संधियों में एमएपी मध्यस्ता को शामिल करने के लिए आपके घरेलू कानून (उदाहरण के लिए आपका संविधान) में कोई कानूनी बाध्यताएं हैं?	ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें	भारत द्वारा की गई कर संधियों को मध्यस्ता के लिए मुहैया कराया गया है	-
ख.	• क्या आपकी कर पॉलिसी आपको आपकी कर संधियों में एमएपी मध्यस्ता को शामिल करने की अनुमति देती है	नहीं	-	-
24.	क्या एमएपी और घरेलू कानून प्रशासन के बीच संबंध का स्पष्टीकरण और न्यायिक उपचार सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध है ?	नहीं	-	-
क.	• क्या दिशानिर्देश विशेषतौर पर निर्दिष्ट करती है कि यदि सक्षम प्राधिकारी समझता हो कि एमएपी में एक घरेलू न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करना कानूनी तौर पर बाध्यकारी है या प्रशासनिक नीति या परंपरा के तौर पर एक घरेलू न्यायालय के निर्णय से नहीं हटेगी	-	-	-

- | | | | |
|--|----------------------------|--|--|
| 25. क्या करदाता को दाखिल कर के वर्षों के संदर्भ में आवर्ती मुद्दों के एमएपी के माध्यम से बहुवर्षीय समाधान के लिए अनुरोध की अनुमति है ? | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | एक करदाता उस प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए एमएपी सहायता का हकदार है जिसके संदर्भ में वह समझता है कि ऐसा कर है जो संधि के अनुसार नहीं है, अनुच्छेद 25(1) के अंतर्गत शर्तों को पूरा करने के अनुसार | - |
| 26. क्या आपके सभी क्षेत्राधिकार की कर संधियों में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो आर्थिक दोहरे कराधान जो अन्यथा प्राथमिक स्थानांतरण मूल्यनिर्धारण समझौते का परिणाम है, के संदर्भ में एमएपी देने या बाद के समायोजन करने के लिए आपके क्षेत्राधिकारी को बाध्य करेगा (यानि ओईसीडी मॉडल कर समझौता या यूएन मॉडल दोहरा कराधान समझौते के अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ आपके सभी क्षेत्राधिकारी कर संधियों में शामिल है) | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | अधिकतर भारतीय कर संधियां बाद के समायोजन के लिए अनुच्छेद 9 के पैराग्राफ (2) में पहले से शामिल है। आगे, यह भारत की नीति है कि वह अपनी सभी संधियों में इस प्रावधान को शामिल करने का प्रयास करे | - |
| 27. क्या एमएपी मामलों के समाधान पर कोई अन्य सूचना उपलब्ध है ? | ब्यौरेवार स्पष्टीकरण देखें | आवधिक आंकड़ों की रिपोर्ट एमएपी मामलों के समाधान पर सूचना देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति के रूप में जारी की गई है | भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट यानि www.incometaxindia.gov.in पर या प्रेस सूचना विभाग की वेबसाइट पर |
| 28. जहां एमएपी के माध्यम से आपके सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया समझौता आपके करदाता द्वारा दिए जाने वाले अतिरिक्त कर का कारण बना हो, क्या सार्वजनिक तौर पर समयसीमा पर उपलब्ध सूचना को करदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए समझौते को प्रतिबिंबित करने के लिए संशोधित किए जाने के लिए और/ या दिए जाने वाले अतिरिक्त कर के लिए अपने कर स्थिति की अपेक्षा कर सकता है | हां | - | आयकर नियम, 1962 में यह सूचना मौजूद है और इसे www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है |
| 29. जहां एमएपी के माध्यम से आपके सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया समझौता आपके करदाता द्वारा दिए जाने वाले या दिए गए प्रतिदाय का कारण बना हो, क्या सार्वजनिक तौर पर समयसीमा पर उपलब्ध सूचना को करदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा किए गए समझौते | हां | - | आयकर नियम, 1962 में यह सूचना मौजूद है और इसे www.incometaxindia.gov.in पर देखा जा सकता है |

को प्रतिबिंबित करने के लिए
संशोधित किए जाने के लिए और/
या दिए जाने वाले अतिरिक्त कर के
लिए अपने कर स्थिति की अपेक्षा
कर सकता है

- | | | | | |
|-----|---|------|---|---|
| 30. | क्या एमएपी के माध्यम से किए गए सभी आपसी समझौते आपके घरेलू कानून में किसी समय सीमा के होते हुए भी कार्यान्वित हुए? | हां | - | - |
| 31. | क्या एमएपी समझौते के कार्यान्वयन पर कोई अन्य सूचना मौजूद है ? | नहीं | - | - |